

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला समन्वयक बने राम प्रकाश पांडेय

पटहरवा कुशीनगर ।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (एनसीएससी) उत्तर प्रदेश (पूर्व) के वर्ष 2026-27 के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राय समन्वयक डा. एसके सिंह ने कुशीनगर के बेसिक शिक्षा विभाग के एसआरजी रामप्रकाश पांडेय को जिला समन्वयक नामित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान क्षमता और नवाचार की भावना विकसित करना है। वर्ष 2026-27 में कार्यक्रम का 32वां संस्करण आयोजित किया

- 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर रहेगा फोकस - कार्यशालाओं, वैज्ञानिक परियोजनाओं और जिला स्तरीय आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई

जाएगा। जिला समन्वयक के रूप में रामप्रकाश पांडेय जिले के सभी विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। उन्हें मार्गदर्शक शिक्षकों के लिए जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन, विद्यार्थियों को स्थानीय समस्याओं पर शोध आधारित वैज्ञानिक परियोजनाएं तैयार करने के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शन देने, जिला स्तरीय राष्ट्रीय

बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करने, जिला आयोजन समिति का गठन करने, समयबद्ध ढंग से राय समन्वयक को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करने तथा राय स्तर से प्राप्त निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियुक्ति पत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर विद्यालयों और बाल वैज्ञानिकों का पंजीकरण करने सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय से पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राम प्रकाश पांडेय की नियुक्ति पर शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विज्ञान से जुड़े लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में जिले में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सफल एवं प्रभावी आयोजन होगा।

व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व व कृतित्व से समाज में याद किया जाता है- महंत



कुशीनगर पटहरवा। व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व व कृतित्व से समाज में याद किया जाता है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन व्यक्ति को समाज के प्रति समर्पण, कृतित्व व व्यक्तित्व अमर होता है। पं.स्व.योगेश तिवारी भी ऐसे

हैं। व्यक्तित्व व समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। उक्त बातें पं.स्व.योगेश तिवारी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कनिष्ठ प्रमुख सुवास चंद सिंह महंत ने महोत्सव में आयोजित

सभा को संबोधित करते हुये कही। उन्होंने कहा कि स्व. पं. योगेश तिवारी समाज के प्रति पूरे जीवन समर्पित रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योगदान बहुत ही अतुलनीय है। वह सबंधों जीवन में बहुत ही तरहीज दी। वह अपने शुभचिंतकों के सहयोग के लिये चहलन जैसे खड़े रहते हैं। वह जीवन के आखिरी क्षण तक समाज व अपने शुभचिंतकों के खबर लेते रहे। उन्होंने उनके सुपुत्रों प्रधान राजेश तिवारी व सुमंत तिवारी को सलाह दी कि स्व. योगेश तिवारी के पदचिन्हों पर चलकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाये। इस अवसर पर संतोष तिवारी, विजय यादव, मदन तिवारी, पंकज पांडेय, जगदंबा शर्मा, पीपी मिश्र, अनिल जायसवाल आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।

उद्यमियों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश, 23 जुलाई को होगी बैंकर्स के साथ विशेष बैठक



कुशीनगर । मुख्य विकास अधिकारी वीदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं श्रम बंधु की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में उद्यमियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी एवं अन्य स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों में लंबित ऋण मामलों के समाधान के लिए 23 जुलाई को विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में जीबीसी-5 के लक्ष्यों, निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों तथा औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त उद्योग प्रवीण कुमार मौर्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग बंधु के पदाधिकारी, उद्यमी एवं व्यापारी उपस्थित रहे।

एक लाख का इनामी बदमाश मुस्तफिजुल उर्फ बाबू मुठभेड़ में घायल, सिपाही भी जखमी

कुशीनगर। सोमवार देर रात पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये का इनामी अपराधी मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू घायल हो गया। इस दौरान मुख्य आरोधी महेंद्र सिंह भी गोली लगने से जखमी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। जानकारी के अनुसार 13 जुलाई 2026 की रात करीब 11 बजे रामनगर करजह से कुशीनगर लेने के पास पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सैद्धिग बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक 32 बोर की पिस्टल, एक मोटरसाइकिल तथा भारी मात्रा में खोखा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू पुत्र जमालुद्दीन निवासी खुन्दनपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ है। उसके



खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, धमकी समेत कुल 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। इसी वर्ष न्यायालय की अवहेलना (धारा 174-ए) और धमकी (धारा 506) के मुकदमे भी दर्ज हुए। वर्ष 2024 में उसके खिलाफ बीएनएस की धाराओं में दो और मुकदमे दर्ज हुए। इसी दौरान महाराष्ट्र के अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में वह पुलिस हिरासत से भी फरार हो गया था। वर्ष 2026 में हरदोई जिले के बिलग्राम थाना क्षेत्र में भी उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज है। पुलिस के अनुसार आरोपी एक शांतिर अपराधी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। मुठभेड़ के बाद उसे हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पटहरवा पुलिस ने चोरी के सामान के साथ तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पटहरवा/कुशीनगर । अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पटहरवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया मोटरसाइकिल का सामान बरामद किया है। थानाध्यक्ष प्रविन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मु0अ0स0 211/2026 धारा 331(4), 305(अ), 317(2) बीएनएस से संबंधित कार्रवाई करते हुए सुंदरम मदेशिया, सुजीत मदेशिया तथा साहित अली उर्फ अफजल अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल ऑयल, हैंडल ग्रिप, एयर फिल्टर, स्पाक प्लग तथा ब्लैक स्प्रे पेंट सहित चोरी का सामान बरामद किया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष प्रविन्द्र कुमार राय, उपनिरीक्षक अनुराग यादव, उपनिरीक्षक मनोज कुमार वर्मा सहित थाना पटहरवा की पुलिस टीम शामिल रही।

सरकारी जमीन और रास्तों पर अवैध कब्जे की शिकायतों पर गंभीर डीएम, मौके पर पहुंचे



देवरिया।

जनसुनवाई प्रणाली को केवल कागजी आख्याओं तक सीमित न रखकर धरातल पर पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मंगलवार को जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनता दर्शन में प्राप्त भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों का वास्तविक सच जानने के लिए खुद प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में जमीनी पैमाइश करवाकर जनसमस्याओं के अंतिम निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित की। जिलाधिकारी के इस तरह अचानक फील्ड में सक्रिय होने से भू-माफियाओं और लापरवाह कर्मचारियों

में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी सबसे पहले सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरा चंद्रभान पहुंचे। यहां ग्रामीण यमला सिंह ने गाटा संख्या 242-क की सरकारी बंजर भूमि और गाटा संख्या 242-ख के सार्वजनिक रास्ते पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

जिलाधिकारी ने बिना समय गंवाए अधीनस्थ तकनीकी टीम को लगाकर तत्काल सीमांकन शुरू कराया। जांच के दौरान सरकारी भूमि की हदें तय की गईं और अवरुद्ध रास्ते को चलायमान स्थिति में लाया गया। इसी गांव में खलिहान की शासकीय भूमि पर हुए अवैध निर्माण के एक अन्य प्रकरण की भी सघन समीक्षा की गई। इस दौरान पता चला कि पूर्व में खाली

जनता दर्शन की अर्जियों पर त्वरित एक्शन के तहत जिलाधिकारी ने खुद संभाली कमान रास्ता बाधित करने के मामले में बघौचघाट पुलिस और तहसीलदार को किया तलब।

कराई गई इस जमीन का मामला तहसीलदार न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, जिस पर जिलाधिकारी ने कोर्ट को तय समय-सीमा के भीतर पत्रावली का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने बघौचघाट थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरी निवासी मंगरू की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें आराजी संख्या 384 की सर्वसाधारण के रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित करने का आरोप था।

जनहित के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर और थाना प्रभारी बघौचघाट को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई करने और मौके से अवरोध हटाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पिपरा चंद्रभान में स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सदर प्रवीण कुमार, तहसीलदार के.के. मिश्र सहित क्षेत्रीय लेखपाल, कानूनगो और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं के लिए जिले में चयन ट्रायल 16 जुलाई से

कुशीनगर। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर प्रदेश स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग के लिए जनपद एवं मंडल स्तर पर चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि कबड्डी, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और हैंडबॉल प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित तिथियों पर चयन प्रक्रिया संपन्न होगी। कबड्डी महिला वर्ग का जिला चयन ट्रायल 16 जुलाई को प्रातः 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम, कुशीनगर में होगा। मंडलीय ट्रायल 17 जुलाई को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, गोरखपुर में आयोजित होगा, जबकि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 4 से 6 अगस्त

तक आगश में होगी। जिम्नास्टिक महिला वर्ग का जिला ट्रायल 20 जुलाई तथा मंडलीय ट्रायल 21 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 4 और 5 अगस्त को आगरा में होगी। बास्केटबॉल महिला वर्ग का जिला ट्रायल 17 जुलाई को तथा मंडलीय ट्रायल 21 जुलाई को होगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 27 से 29 जुलाई तक बरेली में आयोजित की जाएगी। हैंडबॉल महिला वर्ग का जिला चयन ट्रायल 22 जुलाई और मंडलीय ट्रायल 23 जुलाई को आयोजित होगा। इसकी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता भी 27 से 29 जुलाई तक बरेली में होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने सभी

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से महिला खिलाड़ियों को निर्धारित तिथि एवं समय पर चयन ट्रायल में भेजने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि जनपदीय चयन ट्रायल में केवल कुशीनगर जनपद की महिला खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर सकेंगी। चयन ट्रायल में शामिल होने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को आयु प्रमाण के रूप में हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड अथवा नगर निकाय द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद ही खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

बड़ी गंडक नहर में महिला के कूदने की आशंका, तलाश जारी

नेबुआ नौरगिया, कुशीनगर ।

स्थानीय थाना क्षेत्र के डोलहा स्थित बड़ी गंडक नहर में सोमवार को एक अज्ञात महिला के नहर में कूदने की आशंका से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। बताया गया कि वह अचानक फाटक की ओर दौड़ते हुए पहुंची और देखते ही देखते बड़ी गंडक नहर में छलांग लगा दी। घटना को देख आसपास मौजूद ग्रामीण तत्काल नहर की ओर दौड़े और महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहर में तेज बहाव और पानी अधिक होने के कारण वह कुछ ही क्षण में लापता हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना

पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद महिला की तलाश शुरू कराई गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला को पहचान नहीं हो सकी है और वह क्षेत्र की रहने वाली भी नहीं लग रही थी। पुलिस आसपास के थानों को भी सूचना देकर महिला की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही नहर के किनारे बसे गांवों में भी जानकारी जुटाई जा रही है। समाचार लिखे जाने तक महिला का कोई पता नहीं चल सका था। नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण तलाश अभियान में कठिनाई आ रही है। पुलिस का कहना है कि महिला की खोजबीन जारी है और पहचान होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

माइलेज कम तो दाम भी कम हो: केजरीवाल की ई20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार से अपील, पीएम मोदी से मांगा मिलने का समय

नई दिल्ली । अम आरपी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय सचिवक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई20 पेट्रोल की दाम कम की अपील की है। उन्होंने प्रशासनिक नोट मोदी से ई20 ईंधन की कीमतों में कटौती की मांग करते हुए तर्क दिया कि इसकी माइलेज कम होने के कारण इसके दाम भी कम होने

चाहिए। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। आम आरपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन किया है कि ई20 के दाम कम होने चाहिए क्योंकि ई20 की माइलेज कम है तो उसके दाम भी कम होने चाहिए। मैं उसी मिलने का समय भी मांगा है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो-जो

लोग इन सभी से दुखी हैं, वे अपनी वीडियो बना-बनाकर सोशल मीडिया पर डालें क्योंकि यह सरकार इतनी आमनी से हमारी बात नहीं सुनेगी। **पीएम मोदी को केजरीवाल ने लिखा पत्र**

केजरीवाल ने ई20 ईंधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने देशभर में लोगों की बढ़ती परेशानी को रेखांकित करते हुए दो प्रमुख मांग रखी हैं। पत्र में केजरीवाल ने लिखा कि लोकतंत्र में जनता की अवज्ञा मुनीं जानी चाहिए। पूरे देश में लोग ई20 पेट्रोल से नाराज हैं। वहन मालिकों का कहना है कि ई20 भरने के बाद वाहनों का माइलेज काफी कम हो गया है और ईंधन के पर्यस खराब हो रहे हैं।

1. हर पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेट्रोल (ई0 या ई10) और ई 20 दोनों विकल्प उपलब्ध करण जाएं, ताकि उपभोक्ता अपनी पर्याद के अनुसार ईंधन चुन सकें।

2. ई20 का दाम शुद्ध पेट्रोल से कम रखा जाए, क्योंकि इसका माइलेज कम है।

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है ताकि वे जनता के

अनुभवों और तकनीकी समस्याओं को विस्तार से बता सकें। उन्होंने कहा, मैं जनता के बीच गया हूँ और उनकी समस्याएं सुनीं हैं। **शुरू किया ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन**

अरविंद केजरीवाल ने आज स्टॉप ई20 पेट्रोल ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान शुरू किया। इस दौरान केजरीवाल ने अनेक लगाया कि

सरकार बिना पूरी तैयारी के श20 पेट्रोल देश पर थोप रही है, जबकि लाखों वहन मालिक माइलेज घटने, ईंधन में खराबी और बढ़ते खर्च की शिकायत कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार लोगों की निताओं को सुनने के बजाय सब कुछ सामान्य बनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए लोग प्रधानमंत्री के नाम याचिकाएं पर हस्ताक्षर कर अपनी

ट्रंप का बड़ा यू-टर्न: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हटाया 20फीसदी शुल्क

ईरान के खिलाफ सख्त नाकेबंदी का ऐलान



नई दिल्ली । इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े यू-टर्न किया और आर्थिक फैसले में होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर लगाए जाने वाले 20फीसदी शुल्क के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से शेरल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए इसे अमेरिका को बड़ी नीत बताया है। **ईरान की पूर्ण नाकेबंदी, बाकी दुनिया के लिए रास्ता साफ**

होर्मुज जलडमरूमध्य अब सभी जहाजों के लिए खुला है, सिवाय ईरान का। उन्होंने ईरान के खिलाफ पूर्ण नाकेबंदी की घोषणा की है, जिसके तहत ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले या ईरानी कानों ले

जाने वाले जहाजों पर कड़ी पाबंदी रहेगी। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को हिंसक और दुर्भावपूर्ण- कण देते हुए कहा कि यह कार्रवाई ईरान को विनाश के रास्ते से रोकने के लिए जरूरी है। **शुल्क की जगह अब खाड़ी देशों का निवेश**

20फीसदी शुल्क को हटाने के पीछे ट्रंप ने खाड़ी देशों के साथ हुई -सकारात्मक बातचीत- का हवाला दिया है। इस शुल्क के बदले अब विभिन्न खाड़ी देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश करेंगे। ट्रंप के अनुसार, इस ऐतिहासिक निवेश में अमेरिका में फैक्ट्रियां और कारखाने लगेंगे, जिससे लाखों उन वेतन वाली नौकरियां पैदा होंगी।

गुरुग्राम में गरमाई सियासत, बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने किया सुंदरकांड का पाठ

गुरुग्राम । कथित कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कक्षीय पहुंचकर कथित तौर पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप में सुंदरकांड का पाठ किया जिससे राजनीतिक माइलेज बढ़ाया गया। हनुमान चालीसा की प्रशंसा लेकर जैसे ही कथित कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस निरीक्षक गुनेश बागड़ी ने बताया कि गुरुग्राम जिला कथित कमेटी के सदस्य पंकज खर और वीरन शर्मा ने संयोजक को घोषणा की थी कि वे मंगलवार पूर्वाह्न 11 बने भाजपा कार्यालय के पास सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके बाद सेक्टर-40 पुलिस ने सोमवार रात दोनों नेताओं को



नोटिस जारी कर काम-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी। कथित के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मंगलवार सुबह भाजपा कार्यालय के 300 मीटर के दूरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएसएएस) की धारा 163 के तहत एंटीवॉक लाइन उठाए थे। पुलिस से बहस के बाद कथित

सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कथित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिस पर पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस दमकारी रवैया अपना रही है। इस बीच भाजपा ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक दिखाना करार दिया। भाजपा की जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि कथित नेताओं को कार्यालय के अंदर साकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि किसी राजनीतिक दल के कार्यलय के ठीक बाहर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने में तो पब्लिक के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।

भारत बोला- होर्मुज में जहाजों को निशाना बनाना बंद हो



तेल अवीव। भारत ने होर्मुज स्ट्रेट में मंगलवार सुबह दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख (डिप्टी चीफ ऑफ मिशन) को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज करवाया। मंत्रालय ने इन हमलों को निंदा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, हमले का शिकार को दोनो जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हुए हैं। भारत ने मुद्रक के परिवार के प्रति संवेदनशीलता जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव चिंता का विषय है।

भारतीय नाविक की मौत पर ईरानी राजदूत तलब; भारत आ रहे 11 जहाज अटके

के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने ईरान के शहरों पर 5 घंटे तक बमबारी की और बूझार, चाबहार, जाम्क, कोनाक, अन् गुसा और बंदर अब्बास स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। **ट्रंप बोले-** होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20 फीसदी शुल्क वसूलेगा। ईरानी जहाजों और उसके जहाजों पर नई पाबंदियां लागू की। **ईरान का जवाब-** सुरक्षा हम देते हैं, लेकिन 20फीसदी यात्रा-ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघानी ने ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए कहा कि सुरक्षित समुद्री रास्ता उपलब्ध करने वाले को भुगतान मिलना चाहिए और वह जिम्मेदारी हमेशा से ईरान निभाता आया है। उन्होंने तर्क करते हुए कहा कि 20 प्रतिशत तो बहुत थोड़ा है। हम उचित शुल्क लेंगे।



भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 18 जुलाई को कैबिनेट की एक विशेष बैठक में मंजूरी मिलने के बाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बिल एच विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। भोपाल के मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चेतन कुशर कक्ष में यह घोषणा की। यह घोषणा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी हुई-लेक्स कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद की गई। कक्ष में कहा कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनें हैं

महिला के दूतों से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की सिफारिश की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उच्च-स्तरीय समिति ने तय समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। यह रिपोर्ट तीन खंडों में तैयार की गई है- पहले खंड में अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य के कानूनों और तौर-तरीकों के विश्लेषण पर आधारित समिति की सिफारिशें हैं, जिन्हें 10 अघ्यायों में प्रस्तुत किया गया है; दूसरे खंड में मध्य प्रदेश के कानूनों के अनुसार तैयार किया गया विश्लेषक का मसौदा है, जिसमें 404 धाराएं और सात अनुसूचिकाएं शामिल हैं; तीसरे खंड में नित्य और व्यवस्थ के साथ-साथ एक समर्पित वेबसाइट के माध्यम से की गई व्यापक जन-प्रामर्श की जानकारी दी गई है। इस सलाह-मशवरे की प्रक्रिया में 9,58,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलीं, जिसका प्रभावशाली, लिंग और समुदाय के आधार पर विचार से विश्लेषण किया गया। समिति को मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शादी, तलाक, गुनाह-भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिंग-इन सिलेशनरीय से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था।

देवघर चारा घोटाला: केस में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सजा पर रोक बरकरार



नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को देवघर चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को सजा पर रोक को बरकरार रखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश में झटका देने से इनकार कर दिया। अदालत ने हालांकि उच्च न्यायालय से यादव को लंबित आपराधिक अपील पर छह महीने के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति एसएम सुंदेरा और पीबी वरले की पीठ झारखंड सरकार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में झारखंड उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें देवघर कोषागार चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा पर रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को सजा पर गलत तरीके से रोक लगाई थी। सरकार का कहना था कि अदालत ने गलत तरीके से वह माना कि उन्होंने अपनी सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है, जबकि उच्च न्यायालय को धारा 427 के तहत अलग-अलग चारा घोटाला मामलों में उनकी सजा एक के बाद एक चलनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया और इसकी बजाय लंबित अपील पर जल्द सुनवाई की जरूरत पर बल दिया। लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक के चरण में उच्च न्यायालय की धारा 427 का गलत हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सजा एक साथ चलनी चाहिए या एक के बाद एक। इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई के दौरान फैसला किया जाएगा। वह मानते हुए कि अपील 2018 से लंबित है, उच्चतम न्यायालय ने सजा पर रोक के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और झारखंड उच्च न्यायालय से अपील का जल्द से जल्द, यानी छह महीने के भीतर निपटारा करने का अनुरोध किया।

पहलगाय आतंकी हमले में एनआईए का बड़ा एक्शन, हाकिम सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी



नई दिल्ली । 2025 के पहलगाय आतंकी हमले के मामले में एक अलग घटनाक्रम के तहत, जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तय्यब के प्रमुख हाकिम सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जिससे उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश नेशनल

इन्वीस्टिगेशन एजेंसी द्वारा 6 जुलाई को एक सल्लेमैट्री चार्जशीट दाखिल करने के बाद आया है, जिसमें सईद को आरोपी बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि वह 22 अप्रैल, 2025 को हुए उस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें से ज्यादातर पर्यटक थे। वारंट की मांग करते हुए आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने अदालत से कहा आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है और एनआईए उसी इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू करने और किसी भी आगे की जांच में उसके विश्वासघातपूर्ण कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त तथ्य का गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध करती है।

राहुल गांधी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला- टीईटी पेपर लीक से 6 लाख छात्र अधर में

नई दिल्ली । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कथित सांसद खलुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को माहूष सखार की आलोचना की। उन्होंने पेंसर लोक होने के आरोप के बाद टीएम एलिविजिलिटी टेस्ट 2026 वर किए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने के दो हफ्ते बाद भी कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है, जिससे लगभग छह लाख उम्मीदवार अधर में पड़े हैं। एकस पर एक पोस्ट में विपक्ष के नेता ने लिखा कि माहूष टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई। 6 लाख उम्मीदवार अधर में पड़े हैं। दो हफ्ते बीत चुके हैं- नई तारीख का कोई अना-पता नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंसर लीक करने वाले अजुद धूम रहे हैं, सिस्टम



पर कोई दाग नहीं लगा है, और सजा उसे भुगतनी पड़े रही है जिसमें टीएमएचए से मेहनत की थी। खलुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेंसर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि परीक्षा की

तैयारी करने वाले छात्र और उम्मीदवार इस गड़बड़ की वजह से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये देव के मौजूद और भविष्य के शिक्षक हैं, जिन्हें छात्रों में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल-दर-साल तैयारी की,

फर्म भरे, प्रेस दी और दूर-दूरान के सेंटर्स तक का सफर किया। और अब वे बस झुंझ कर रहे हैं- बिना किसी तारीख के, बिना किसी जवाब के। माहूष के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए, खलुल गांधी ने तीन सूचीय मांग रखीं, जिसमें उनकी अपील का मुख्य बिंदु माहूष टीईटी का नया डेडलाइन तुरंत घोषित करना था। उन्होंने उच्च न्यायालय से उल्लेख किया कि बिना और देरी किए परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाए, उम्मीदवारों की सजा देने के बजाय पेंसर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और उन उम्मीदवारों को उस सीमा में छूटी जाए जिन्हीं पात्रता परीक्षा टलने से प्रभावित हुई हो सकती है।

उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री जी, आज ही तीन बातें- **समय-सीमा-** टीईटी की नई तारीख अभी घोषित करें, **जवाबदेही-** लीक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, उम्मीदवारों पर नही, **भविष्य की सुरक्षा-** जिसका साल इस लीक की वजह से बर्बाद हुआ, उन्हें उस सीमा में छूट मिलनी चाहिए। खलुल ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद अभिहितता में जो दो लाखों उम्मीदवारों का भरोसा बकल करने के लिए सरकार को तैयार से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासनिक निष्पत्ता का बोझ उन लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने सल्ले तक ईमानदारी से तैयारी की थी।

धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार नमाज होगी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मामले पर मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभिन्न मुस्लिम पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कांत, जस्टिस जयपाला साहनी और जस्टिस वी मोहान की पीठ ने याचिकाओं पर फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और हाइकोर्ट के फैसले से पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार कर

दिया। जिसके चलते अभी भोजशाला परिसर में नमाज को रोक जारी रहेगी। पीठ ने हालांकि राय सरकार को निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के पास ही अलग जगह दी जाए, जहां मुस्लिम शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकें। पीठ ने साफ किया कि अंतिम फैसले तक यह निर्देश अस्थायी है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी की याचिका को स्वीकार करते हुए पीठ

ने निर्देश दिया कि एसआई, बिना अडलत की मंजूरी के भोजशाला परिसर में बंदीगत बदलाव नहीं करेगा। पीठ ने कहा कि वे इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में अंतिम सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाइकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका भी नहीं दिया। साल 2003 में एसआई ने आदेश दिया था कि प्रदर्शन में एक दिन शुक्रवार को नमाज अदा की

जाएगी और एक दिन मंगलवार को पूजा होगी। आज हमें पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है? ये बहुत गलत है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि एसआई की रिपोर्ट करने वाले लोगों से पूछाऊं भी नहीं की गई। हुजैफा ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की। वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि कुछ जगहों पर मंदिर हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा, यहां 700 वर्षों से यहां नमाज हो रही है। 1927-28

के सर्वे में कहा गया कि ये एक मस्जिद है। एमपी जज एलन का मॉडिफिकेशन भी यही कहा है। साल 1977 से यहां नमाज के साथ बसंत पंचमी की पूजा भी हो रही है, लेकिन हिंदू पक्ष की रिट याचिका पर आदेश पारित कर दिया गया। इस पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तृषार मेहता ने कहा कि आदेश को दिए हुए दो महीने बीत चुके हैं। काफी कुछ हो चुका है। वकील कपूर कुमार सिन्हा ने बताया कि आज मुस्लिम

पक्ष की तरफ से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की तरफ से चार एसएलपी दायर की गई थी। याचिकाओं में हाइकोर्ट के आदेश से पहले की यथास्थिति बहाल करने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में अंतिम सुनवाई करेगा। तब तक भोजशाला परिसर में किसी भी तरह के ढांचागत बदलाव पर रोक रहेगी।

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए
दिए गए QR कोड को स्कैन करें।